

20.09.2023

पत्रावली आज् पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता एवं प्रार्थी को इस न्यायालय द्वारा तीन-तीन बार आवाज लगवाई गई लेकिन प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए एवं न ही प्रार्थी उपस्थित हुआ। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

*Bhalla*  
(डॉ. भँवर लाल)  
जिला कलक्टर,सिरोही